16 मई 2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **यूएपीए के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध: सुप्रीम कोर्ट** (16 मई) (GS PAPER II: **राजनीति**)
2. **सेना को कंधे से दागे जाने वाले इग्ला-एस वायु रक्षा प्रणालियों का अगला बैच मिलने वाला है** (16 मई) (GS PAPER III: **आंतरिक सुरक्षा**)
3. **अध्ययन के अनुसार** 2023 **की गर्मियां** 2,000 **वर्षों में सबसे गर्म होंगी** (16 मई) (GS PAPER III: **पर्यावरण**)
4. **निम्न वर्गीय धर्मनिरपेक्षता की वकालत** (16 मई) (GS PAPER I **और** GS PAPER II: **धर्मनिरपेक्षता**)
5. **चुनाव दिवस को अवकाश घोषित करने का मामला** (16 मई) (GS PAPER II: **वोट का अधिकार**)

PatrioticIAS

यूएपीए के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध: सुप्रीम कोर्ट (16 मई) (GS PAPER II: राजनीति)

- सर्वोच्च न्यायालय ने पत्रकार और न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस द्वारा गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने को अवैध घोषित कर दिया।
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने कहा कि श्री पुरकायस्थ और उनके वकील को उनकी गिरफ्तारी का लिखित आधार उपलब्ध नहीं कराया गया।
- **श्री पुरकायस्थ पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से "राष्ट्र-विरोधी प्रचार" फैलाने के लिए चीनी फंडिंग का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था और उन्हें 3 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने गिरफ्तार कर लिया था।** अगले दिन उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया तथा उनके वकील को 5 अक्टूबर को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दी गई।
- न्यायालय **ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनुसार, गिरफ्तारी के आधार के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार मौलिक है। इस अधिकार का कोई भी उल्लंघन गिरफ्तारी और रिमांड प्रक्रिया को अमान्य कर देगा।**
- अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में केवल आरोपपत्र दाखिल कर देने से गिरफ्तारी के दौरान की गई अवैधताएं उचित नहीं ठहराई जा सकतीं।
- परिणामस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने श्री पुरकायस्थ को हिरासत से रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के आधार के बारे में उन्हें सूचित न किए जाने के कारण उनकी गिरफ्तारी और हिरासत कानून की दृष्टि में अवैध है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि उसका निर्णय उनके खिलाफ मामले के गुण-दोष पर निर्णय नहीं था।
- न्यायमूर्ति मेहता ने इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी की तरह ही हिरासत के आधार भी बंदी को लिखित रूप में बताए जाने चाहिए।
- **हिरासत के लिए लिखित आधार प्रदान करने में विफलता संविधान के अनुच्छेद 22(5) का उल्लंघन करती है, जिसके अनुसार बंदियों को उनकी हिरासत के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे चुनौती देने का मौका दिया जाना चाहिए।**
- यह महत्वपूर्ण है कि जांच एजेंसी या पुलिस गिरफ्तारी या हिरासत के आधार को लिखित रूप में बताए, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
- इस संवैधानिक आवश्यकता और वैधानिक आदेश का कोई भी गैर-अनुपालन हिरासत या नजरबंदी को अवैध बना देता है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया है।

- **सर्वोच्च न्यायालय ने नियम बनाया है कि गिरफ्तार किए गए लोगों या उनके वकीलों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी के लिए लिखित कारण बताए जाने चाहिए, जैसा कि 2023 में पंकज बंसल मामले में निर्णय दिया गया था।**
- श्री पुरकायस्थ के मामले में हाल ही में आए फैसले के बाद यह नियम अब गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आने वाले मामलों पर भी लागू होगा।
- प्रबीर पुरकायस्थ को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था।

- उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की प्रति मांगी लेकिन पुलिस ने उनकी बात अनसुनी कर दी
- 4 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे सत्र न्यायाधीश द्वारा पुलिस हिरासत में भेजे जाने के बाद ही उन्हें एफआईआर की प्रति प्राप्त हुई।
- श्री पुरकायस्थ के वकील अर्शदीप खुराना को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में 5 अक्टूबर को बताया गया, जो उनके मुवक्किल को पुलिस हिरासत में भेजे जाने के 24 घंटे बाद हुआ।

गुप्त अभ्यास

- सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर को पाया कि श्री पुरकायस्थ की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर रूप से अतिक्रमण किया गया था।
- उन्होंने पूरी गिरफ्तारी प्रक्रिया की आलोचना करते हुए इसे गुप्त तथा कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का प्रयास बताया।
- श्री पुरकायस्थ को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उन्हें अपना बचाव करने या कानूनी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर नहीं मिल सका।
- न्यायमूर्ति मेहता ने गिरफ्तारी को उचित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन बताया, जिसका उद्देश्य आरोपी को चुनौती देने का उचित अवसर दिए बिना उसे पुलिस हिरासत में रखना है।
- दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि श्री पुरकायस्थ को उनकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में मौखिक रूप से सूचित किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे अपर्याप्त पाया और गिरफ्तारी के आधार के बारे में लिखित संचार के महत्व को बरकरार रखा।

स्लोवाकिया कहां है?

- **मुद्रा:-** यूरो (€)
- **पूंजी:-** ब्रैटिस्लावा

मेट्टूर बांध भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और तमिलनाडु का भी सबसे बड़ा बांध है , जो कावेरी नदी के उस पार स्थित है जहाँ से यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। 1934 में निर्मित इस बांध को बनने में 9 साल लगे। बांध की अधिकतम ऊंचाई और चौड़ाई क्रमशः 214 और 171 फीट है।

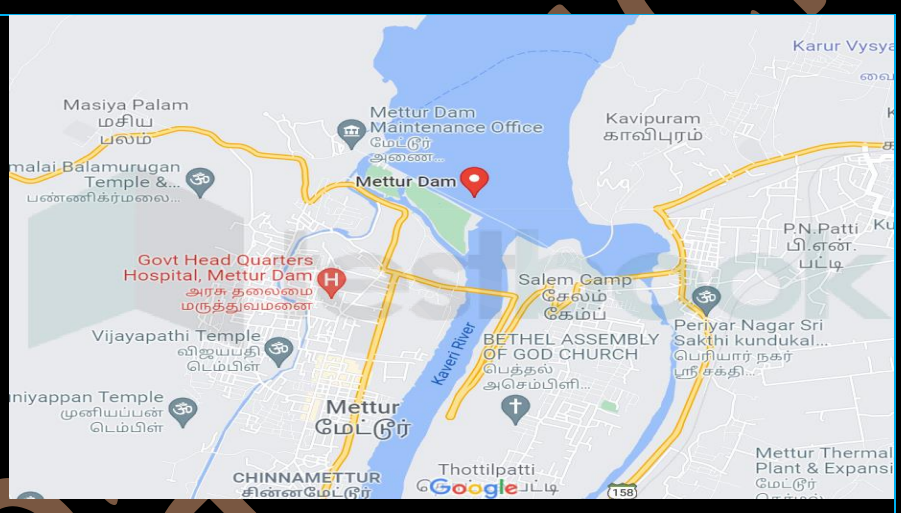

ParchamIAS

बेंगलुरू-मैसूरु राजमार्ग पर 60 एआई संचालित स्पीड कैमरे लगाए जाएंगे (16 मई)

- बेंगलुरू-मैसूर राजमार्ग पर अधिक तेज गति से वाहन चलाने तथा गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण एनएचएआई कार्रवाई कर रहा है।
- वे उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने के लिए राजमार्ग पर 60 स्मार्ट कैमरे लगा रहे हैं।
- ये कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित होंगे तथा इन्हें राजमार्ग के दोनों हिस्सों पर रणनीतिक रूप से लगाया जाएगा।
- कैमरों को विशेष मेहराबों पर लगाया जाएगा तथा बिजली के लिए सौर पैनल लगाए जाएंगे।
- यातायात उल्लंघन पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक मेहराब पर पांच कैमरे और प्रत्येक लेन के लिए गति सीमा संकेतक होंगे।
- इसका उद्देश्य यातायात नियमों को लागू करके तथा दुर्घटनाओं को कम करके राजमार्ग को सुरक्षित बनाना है।
- फरवरी में एनएचएआई ने राजमार्ग पर छह स्थानों पर एआई-आधारित कैमरों के उपयोग को मंजूरी दी थी।
- ये कैमरे स्वचालित रूप से वाहनों और उनकी नंबर प्लेटों को कैप्चर करेंगे।
- इससे प्राधिकारियों को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने में सहायता मिलेगी।
- राजमार्ग का उपयोग करने वाले मोटर चालक इस पहल से खुश हैं।
- बेंगलुरू के एक यात्री ने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाने से निपटना जरूरी है और ये कैमरे लोगों को नियम तोड़ने पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर सकते हैं।

एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की स्थापना 1995 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।

- इसका मुख्य कार्य भारत सरकार द्वारा सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है।

- एनएचएआई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
- इसका संचालन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, पांच पूर्णकालिक सदस्य और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी का लिखित आधार बताना होगा: सुप्रीम कोर्ट (16 मई)

- सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के महत्व पर जोर दिया तथा इसे सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार माना।
- उन्होंने फैसला सुनाया कि जांच एजेंसियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के कारणों को बताते हुए एक लिखित प्रति देनी होगी।
- न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने पंकज बंसल मामले में अपने पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसमें निर्णय लिया गया था कि गिरफ्तार व्यक्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- यह निर्णय पीएमएलए से लेकर यूएपीए के तहत आने वाले मामलों में गिरफ्तारी के लिखित आधार बताने की आवश्यकता को बढ़ाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि गिरफ्तारी प्रक्रिया के दौरान व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।

केंद्र वस्तुएँ

- केंद्र सरकार ने पंकज बंसल निर्णय के सिद्धांतों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामलों में लागू करने पर असहमति जताई।
- अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इस विस्तार के खिलाफ तर्क देते हुए कहा कि पंकज बंसल निर्णय में विशेष रूप से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तारियों को संबोधित किया गया है, न कि यूएपीए को।
- सरकार की आपत्ति इस तर्क पर आधारित थी कि पीएमएलए और यूएपीए की परिस्थितियां और कानूनी प्रावधान अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों पर समान नियम लागू नहीं होने चाहिए।

सेना को कंधे से दागे जाने वाले इग्ला-एस वायु रक्षा प्रणालियों का अगला बैच मिलने वाला है (16 मई) (GS PAPER III: आंतरिक सुरक्षा)

- भारतीय सेना को मई के अंत या जून की शुरुआत तक रूसी इग्ला-एस वायु रक्षा प्रणाली मिल जाएगी।
- ये प्रणालियाँ भारत की वायु रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अतीत में इनमें देरी हुई है।
- भारत और रूस के बीच रक्षा सौदों के लिए भुगतान का मुद्दा था, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है।
- इग्ला-एस सिस्टम का ऑर्डर पिछले साल आपातकालीन खरीद के तहत दिया गया था और इसे रूस की तकनीक के साथ **अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा भारत में असेंबल किया जा रहा है।**
- **अगले महीने हैदराबाद में** ADSTL **द्वारा निर्मित दो इज़रायली हर्मीस-900 मध्यम ऊंचाई वाले लंबी क्षमता वाले मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी)** में से पहला प्राप्त होगा ।
- पिछले साल सेना ने 260 करोड़ रुपये के अनुबंध के तहत 48 इग्ला-एस लांचर, 100 मिसाइल, 48 नाइट साइट्स और एक मिसाइल परीक्षण स्टेशन का ऑर्डर दिया था। मई के अंत तक इनकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है।
- मिसाइल के कुछ हिस्से आयात किए जाएंगे, जबकि साइट, लांचर और बैटरी को अडानी डिफेंस द्वारा असेंबल या निर्मित किया जाएगा ।
- VSHORAD (**बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली**) **सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली है, जो वायु रक्षा नेटवर्क में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और यूएवी के खिलाफ उनकी अंतिम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है।**

इग्ला-एस, जिसे नाटो द्वारा एसए-24 ग्रिंच के नाम से भी जाना जाता है, रूस द्वारा विकसित एक मानव-पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली (मैनपैड्स) है।

समारोह: इग्ला-एस एक छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे एक सैनिक द्वारा कंधे से दागे जाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कम उड़ान वाले फिक्स्ड-विंग और रोटरी-विंग विमानों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना सकती है ।

तैनाती: इग्ला-एस रूसी सशस्त्र बलों में कार्यरत है और इसे दुनिया भर के कई देशों में निर्यात किया गया है।

अध्ययन के अनुसार 2023 की गर्मियां 2,000 वर्षों में सबसे गर्म होंगी (16 मई) (GS PAPER III: पर्यावरण)

- पिछले वर्ष उत्तरी गोलार्ध में पड़ी भीषण गर्मी के कारण भूमध्य सागर में जंगल में आग लग गई, टेक्सास में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, तथा चीन में बिजली ग्रिड पर दबाव पड़ा।

Patriot IAS

- नए शोध के अनुसार, इस अत्यधिक गर्मी ने न केवल रिकॉर्ड पर सबसे गर्म ग्रीष्मकाल बनाया, बल्कि **लगभग** 2,000 **वर्षों में सबसे गर्म ग्रीष्मकाल भी बना दिया।**
- नेचर पत्रिका में प्रकाशित ये निष्कर्ष 1800 के दशक के मध्य के मौसम संबंधी अभिलेखों और नौ उत्तरी स्थलों पर वृक्ष वलय विश्लेषण से प्राप्त तापमान आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त हुए हैं।
- वैज्ञानिकों ने पाया कि 2023 की गर्मियों के दौरान तापमान **पूर्व-औद्योगिक औसत से** 2.07 **डिग्री सेल्सियस अधिक था** , जो ग्लोबल वार्मिंग में नाटकीय वृद्धि का संकेत देता है।
- अध्ययन में जलवायु परिवर्तन से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है, क्योंकि वैश्विक तापमान और उत्सर्जन में वृद्धि जारी है।
- वृक्ष वलय डेटा से पता चलता है कि 1890 तक अनुमानित औसत तापमान की तुलना में 2023 में गर्मियों के महीने औसतन 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होंगे।
- वैज्ञानिकों ने जनवरी में भविष्यवाणी की थी कि 2023 संभवतः 100 सहस्राब्दियों का सबसे गर्म वर्ष होगा, लेकिन इतनी लंबी अवधि में वर्ष-दर-वर्ष तापमान की तुलना करना चुनौतीपूर्ण है।
- 2023 में तीव्र गर्मी की स्थिति अल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण और भी खराब हो गई, जिसके कारण लंबे समय तक और अधिक गंभीर तापलहरें और सूखा पड़ेगा।
- पीएलओएस मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि 1990 **से** 2019 **के बीच** 43 **देशों में प्रतिवर्ष** 150,000 **से अधिक हीटवेव से संबंधित मौतें होती हैं।**
- इनमें से आधे से अधिक मौतें एशिया में हुईं, तथा यूरोप में प्रति वर्ष प्रति 10 मिलियन निवासियों पर गर्मी से संबंधित मौतों का आंकड़ा सबसे अधिक 655 रहा।
- यूरोप में ग्रीस, माल्टा और इटली में सबसे अधिक अतिरिक्त मौतें हुईं।
- अत्यधिक गर्मी से हृदय संबंधी समस्याएं, सांस लेने में कठिनाई और हीट स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

PatriotICIAS

The pitch for subaltern secularism

Varghese K. George

In the shifting sands of politics, Mani Shankar Aiyar and Lalu Prasad Yadav are two politicians who have remained steadfast on one question of principle – Hindu-Muslim harmony. Both are outstanding orators with a sense of humour, but the commonality ends there. Their lives and histories are far wide apart otherwise. Mr. Aiyar thinks and speaks in English; Mr. Yadav does so in Hindi, in fact, in Bhojpuri. Mr. Aiyar is 83, and Mr. Yadav is 75, but their paths have never crossed, though they were Ministers in the same Union Cabinet under the United Progressive Alliance (UPA). Their parallel lives make a metaphor of the crisis of Indian secularism.

The trajectory across the years

Mr. Aiyar went to Doon School, St. Stephen's College and joined the Indian Foreign Service. Mr. Yadav went to a village school and then college in Bihar. Mr. Aiyar describes himself as a 'secular fundamentalist,' the title of one of his numerous books. Mr. Yadav has not written any book (though he has lent his name to a biography of himself titled, *Gopalganj To Raisina*. He has, however, scripted a social coalition of Bihar's subalterns and Muslim minorities, by stopping the *rath yatra* of the Bharatiya Janata Party (BJP) veteran L.K. Advani and ordering his arrest in Bihar in 1990.

The India International Centre in New Delhi is considered a nerve centre of English intellectualism. In 2006, Mr. Yadav, then Union Minister of Railways and leader of the Rashtriya Janata Dal (RJD) – the second largest contingent in the ruling UPA coalition and in power in Bihar – applied for membership of the IIC. The screening committee of the IIC, in its wisdom, decided that Mr. Yadav was not fit to be its member. "I should not have applied," Mr. Yadav said later. "It is not my place." The IIC never explained its decision. The scholar and politician, Karan Singh, who had sponsored Mr. Yadav's application, resigned as the IIC's life trustee in protest.

Mr. Aiyar, of course is a member of the IIC, which is the gated community of India's English speaking secular elite. He wears his command over the English language on his sleeve. In contrast, Mr. Yadav's humour is often social criticism. And when he turns that on his opponents, they too laugh, as when Atal Bihari Vajpayee was in splits listening to Mr. Yadav taking him down during the debate on a trust vote motion in the Lok Sabha in April 1999. Mr. Yadav cites village life, Kabir, Rahim, Buddha, Krishna in his speeches.

Mr. Aiyar would cite Orwell, Kipling and Shakespeare and his humour is often at the cost of his opponents. In his running battle with a Rashtriya Swayamsevak Sangh-leaning editor in Delhi, he would repeatedly recall that he went to Deshbandhu College, a far cry from the Stephanian world. Ever ready with one-liners, whether to take down an opponent or eulogise a friend, he used to be a joy when it came to sound bites. And in 2014, he gave the winning slogan, not for his party the Congress, but the target of his ire, Narendra Modi. "Let him sell tea," he quipped in response to a question, on a former tea seller's claim to the top post in the country.

Mr. Narendra Modi is opposed in the subaltern terrain by Mr. Yadav. Around the same time that Mr. Modi (born 1950) was selling tea in Gujarat, Mr. Yadav (born 1948) was herding cattle in Bihar. Much before Mr. Modi's *chaiwallah* story became an international bestseller, Mr. Yadav had sold his. In the same speech cited above, Mr. Yadav said about his wife Rabri Devi, "It is the beauty of Indian secularism that a poor woman from the village is the Chief Minister of Bihar," charging the BJP with trying to destroy it.

Mr. Aiyar spoke within the gated community. Mr. Yadav spoke to those without gates and homes. Their secularism ran on parallel tracks, not agnostic of each other, but fostering a mutual hostility. The English elite could never accept Mr. Yadav and his like; though a Union Minister, the IIC would not admit him. Mr. Yadav had his own views. In the speech in 1999, he reminded Yashwant Sinha, fellow Bihari, and Indian Administrative Service-turned Minister in the A.B. Vajpayee cabinet, "We faced struggle and jail. In Delhi, there are intellectuals like you who are always in power...."

Social, economic and Political Justice

The communities that were mobilised by Mr. Yadav (and his counterparts in Uttar Pradesh such as Mulayam Singh Yadav and Kanshi Ram), the Hindu subalterns, over the decades, sensed the contempt they faced in the English world, particularly when more of them were educated. They would in turn be attracted to the BJP's pitch for honour within Hindu society. That turned out to be the moment for what scholar Sajjan Kumar terms subaltern Hindutva that Mr. Modi mobilised in 2014. In 2024, its contradictions are surfacing, but the reckoning of 2014 was long in the making.

Vernacular, subaltern secularism

In the early 2000s, when the BJP was gradually moving to the centre stage of Indian politics, Alok Rai wrote this about the need for vernacularising – more specifically, Hindi-fying – secular values in order to communicate with masses. He said, "The social privilege enjoyed by this (English) elite becomes...a serious liability for the secular and modern value package espoused by them....The English elite will be condemned to confront in the political battlefield the popular energies which Hindi can command with relative ease. The strategic location of the English elite in the apparatuses of power may delay the day of reckoning.....The overwhelming social dominance of English is a threat to certain other things which they value like secularism, like the struggle for a modern society..The association with English and the class that lives off English has become a serious liability for those valued goals."

The expansion across the subcontinent, of what is today called Hinduism, over millennia, is a story of constant vernacularisation and regionalisation of the traditions that were formed in northwestern regions of the country, called Aryavarta in ancient texts. In new terrains and among new peoples, the carriers of those traditions sought connections by negotiating with local practices. The historian, R. Champakalakshmi, describes this as a process of "interaction, acculturation and accommodation and often confrontation between different zones of language and culture." This continues into the Hindutva project as well – for instance, in Mr. Modi's outreach to Tamils.

Secular inquisitors travelled in the opposite direction, cancelling people and practices for the slightest of disagreements and even labelling them regressive or communal. And, with the focus entirely on inter-religious relations and negligence of intra-religious justice, distanced secularism from the subalterns. "Intra-religious domination, i.e., religion-related patriarchy and caste domination, fanaticism, bigotry and extremism got ignored," writes political theorist Rajeev Bhargava. "...as the intra-religious dimension was ejected from the meaning of secularism...,much to the detriment of its overall value, secularism began to be identified, by proponents and opponents alike, exclusively with the defence of minority rights...especially Muslims."

The contest, the challenge

There is subaltern Hindutva, but the question in the 2024 general election is whether there can be subaltern secularism

There is subaltern Hindutva, but the question in 2024 is whether there can be subaltern secularism. Mr. Modi and his principal opponent, Rahul Gandhi, are framing the general election as a choice between subaltern Hindutva versus subaltern secularism. Both of them are facing resistance within their parties to this subalternisation. Mr. Gandhi has brought questions of caste justice into mainstream Congress thinking, besides partnering with parties such as RJD, the Samajwadi Party and the Dravida Munnetra Kazhagam, that represent subaltern groups but also carry their own baggage. But the real challenge before him is reconciling his party's old elitism with the inescapable turn to the subaltern terrain where the numbers are aggregated. The question is whether he can force Mr. Aiyar to meet Mr. Yadav.

varghese.g@thehindu.co.in

निम्न वर्गीय धर्मनिरपेक्षता की वकालत (16 मई) (GS PAPER I और GS PAPER II: धर्मनिरपेक्षता)

सबाल्टर्न हिंदुत्व तो है, लेकिन 2024 के आम चुनाव में सवाल यह है कि क्या सबाल्टर्न धर्मनिरपेक्षता हो सकती है

- मणिशंकर अय्यर और लालू प्रसाद यादव हिंदू-मुस्लिम सद्भाव के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं।
- वे दोनों ही हास्य भावना से युक्त कुशल वक्ता हैं।
- हालाँकि, उनके जीवन और पृष्ठभूमि के कई पहलू अलग-अलग हैं।
- अय्यर अंग्रेजी में बात करते हैं, जबकि यादव हिंदी, विशेषकर भोजपुरी में बात करते हैं।
- अय्यर 83 वर्ष के हैं, जबकि यादव 75 वर्ष के हैं।
- संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के तहत दोनों एक ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री होने के बावजूद, उनके रास्ते कभी नहीं मिले।
- उनके विपरीत जीवन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए एक रूपक के रूप में काम करते हैं।

वर्षों के दौरान प्रक्षेप पथ

- श्री अय्यर और श्री यादव की पृष्ठभूमि अलग-अलग है:
- श्री अय्यर ने दून स्कूल और सेंट स्टीफन कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और बाद में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए।
- दूसरी ओर, श्री यादव ने गांव के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की तथा उसके बाद बिहार में कॉलेज गये।
- श्री अय्यर स्वयं को 'धर्मनिरपेक्ष कट्टरपंथी' कहते हैं और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से एक इसी शीर्षक से लिखी गई है।
- श्री यादव ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी है, लेकिन उनके बारे में "गोपालगंज टू रायसीना" शीर्षक से एक जीवनी लिखी गयी है।
- श्री यादव बिहार की राजनीति में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जहां उन्होंने उपेक्षित (निम्न वर्ग) और मुस्लिम अल्पसंख्यकों जैसे हाशिए पर पड़े समूहों का गठबंधन बनाया।
- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की राजनीतिक रैली (रथयात्रा) को रोककर और बिहार में उनकी गिरफ्तारी का आदेश देकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
- नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) अंग्रेजी बौद्धिकता के केंद्र के रूप में जाना जाता है।
- 2006 में, श्री यादव, जो उस समय केंद्रीय रेल मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता थे, ने आईआईसी की सदस्यता के लिए आवेदन किया था।
- हालाँकि, आईआईसी की स्क्रीनिंग कमेटी ने निर्णय लिया कि श्री यादव सदस्यता के लिए उपयुक्त नहीं हैं, हालांकि उन्होंने अपने निर्णय के लिए कभी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया।

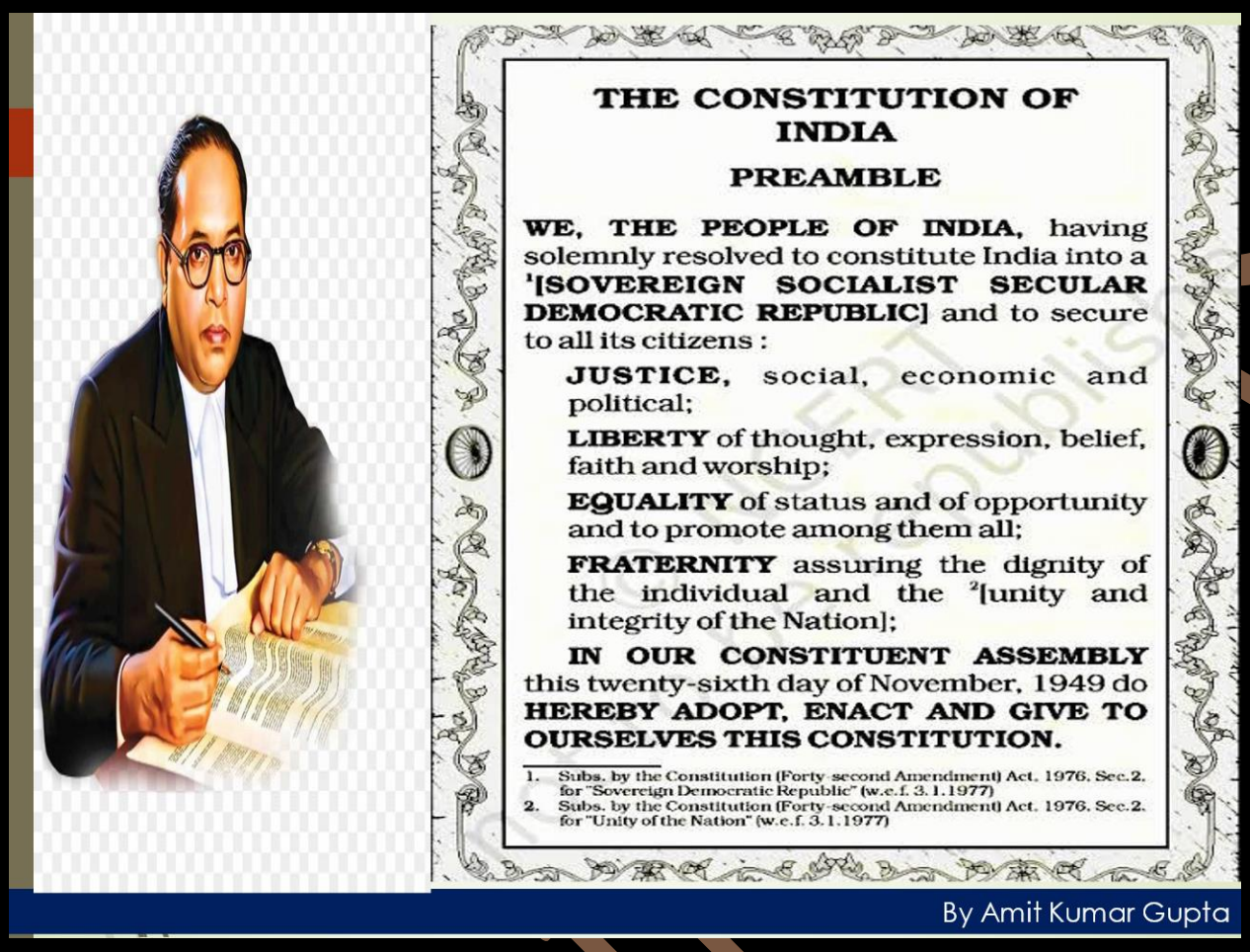

- बाद में श्री यादव ने स्वीकार किया कि उन्हें पहले तो आवेदन ही नहीं करना चाहिए था, उन्होंने कहा, "यह मेरा स्थान नहीं है।"
- श्री यादव के आवेदन को प्रायोजित करने वाले विद्वान एवं राजनीतिज्ञ करण सिंह ने निर्णय के विरोध में आईआईसी के आजीवन ट्रस्टी पद से इस्तीफा दे दिया।
- इसके विपरीत, श्री अय्यर आईआईसी के सदस्य हैं, जिसे भारत के अंग्रेजी बोलने वाले धर्मनिरपेक्ष अभिजात वर्ग के एकत्र होने का स्थान माना जाता है।
- श्री अय्यर अपनी अंग्रेजी भाषा की धाराप्रवाहता के लिए जाने जाते हैं, जबकि श्री यादव के हास्य में अक्सर सामाजिक आलोचना शामिल होती है।
- श्री यादव के भाषणों में अक्सर ग्रामीण जीवन और कबीर, रहीम, बुद्ध और कृष्ण जैसी सांस्कृतिक हस्तियों का उल्लेख होता है।
- श्री अय्यर ऑरवेल, किपलिंग और शेक्सपियर जैसे लेखकों का हवाला देने के लिए जाने जाते हैं। उनका हास्य अक्सर उनके विरोधियों पर निशाना साधता है।
- उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े एक संपादक को देशबंधु कॉलेज में बिताए गए उनके साधारण कॉलेज की पृष्ठभूमि की विनोदपूर्ण ढंग से याद दिलाई तथा उसकी तुलना प्रतिष्ठित सेंट स्टीफन कॉलेज से की।
- 2014 में उन्होंने नरेन्द्र मोदी के चाय बेचने वाले के रूप में साधारण शुरुआत के बारे में मजाक करते हुए कहा था, "उन्हें चाय बेचने दो।"
- दूसरी ओर, श्री यादव ने नरेन्द्र मोदी का विरोध करते हुए कहा कि वे बिहार में मवेशी चराने का काम करते थे, जबकि मोदी गुजरात में चाय बेचते थे।
- श्री यादव की पत्नी राबड़ी देवी, जो गांव की एक गरीब महिला थीं और बिहार की मुख्यमंत्री बनीं, उनके लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आदर्श थीं, जिसे उन्होंने भाजपा पर नष्ट करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।
- श्री अय्यर ने अभिजात वर्ग के बीच बात की, जबकि श्री यादव ने आम लोगों से बात की। उनकी धर्मनिरपेक्षता एक-दूसरे से टकराती थी, लेकिन साथ ही आपस में टकराती भी थी, जिससे आपसी दुश्मनी बढ़ती थी।
- केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद, श्री यादव को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) जैसे विशिष्ट हलकों में स्वीकार नहीं किया गया।
- श्री यादव ने बिहार से आये अपने जैसे लोगों के संघर्षों और दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवियों के बीच के अंतर को उजागर किया, जो हमेशा सत्ता में बने रहते हैं।
- श्री यादव, मुलायम सिंह यादव और कांशीराम द्वारा संगठित समुदायों , विशेषकर हिंदू निम्नवर्गीय वर्गों को अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग से तिरस्कार का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कुछ लोग हिंदू समाज में सम्मान के लिए भाजपा की मुहिम की ओर आकर्षित हुए।

- भाजपा के संदेश के प्रति यह आकर्षण, विद्वान सज्जन कुमार के शब्दों में, 2014 में मोदी द्वारा संगठित किए गए "सबाल्टर्न हिंदुत्व" में परिणत हुआ। हालांकि, 2024 तक, इस आंदोलन के विरोधाभास स्पष्ट होने लगे हैं, हालांकि इसकी जड़ें वर्षों पुरानी हैं।

स्थानीय भाषा, निम्नवर्गीय धर्मनिरपेक्षता

- 2000 के दशक के प्रारंभ में, जब भाजपा ने भारतीय राजनीति में प्रमुखता हासिल कर ली, आलोक राय ने स्थानीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी को बढ़ावा देकर धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को आम जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
- राय ने सुझाव दिया कि अभिजात वर्ग के बीच अंग्रेजी का प्रभुत्व व्यापक आबादी तक धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक मूल्यों के प्रसार में बाधा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग को लोकप्रिय जनता से जुड़ने में कठिनाई हो सकती है।
- उनका मानना था कि अंग्रेजी और अभिजात्य वर्ग के साथ जुड़ाव धर्मनिरपेक्षता और आधुनिक समाज को बढ़ावा देने जैसे लक्ष्यों में बाधा बन सकता है।
- उपमहाद्वीप में हिंदू धर्म के ऐतिहासिक विस्तार में स्थानीय भाषाओं और रीति-रिवाजों को अपनाना शामिल था, एक प्रक्रिया जिसे वर्नाक्यूलराइज़ेशन के रूप में जाना जाता है । इसने हिंदू परंपराओं को फैलने और नई आबादी के साथ जुड़ने का मौका दिया।
- इतिहासकार आर. चम्पकलक्ष्मी इस प्रक्रिया को विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच अंतःक्रिया, संस्कृति-परिग्रहण, समायोजन और कभी-कभी टकराव से जुड़ी प्रक्रिया के रूप में वर्णित करती हैं।
- स्थानीय भाषाकरण की यह प्रक्रिया हिंदुत्व परियोजना में भी जारी है, जैसा कि नरेन्द्र मोदी द्वारा तमिल भाषियों से जुड़ने के प्रयासों में देखा जा सकता है, जो विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों में हिंदू परंपराओं के निरंतर अनुकूलन को दर्शाता है।
- कुछ धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या समूह अपने धार्मिक समुदाय के लोगों और प्रथाओं की आलोचना और निंदा करने पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने लगे, तथा अक्सर छोटी-छोटी असहमतियों के लिए उन्हें प्रतिगामी या सांप्रदायिक करार देने लगे।
- अंतर-धार्मिक संबंधों पर इस संकीर्ण ध्यान के कारण धार्मिक समुदायों के भीतर के मुद्दों, जैसे पितृसत्ता, जाति वर्चस्व, कट्टरता, धर्मांधता और उग्रवाद की उपेक्षा हुई।
- राजनीतिक सिद्धांतकार राजीव भार्गव का तर्क है कि धार्मिक समुदायों के भीतर के मुद्दों को नज़रअंदाज़ करने से धर्मनिरपेक्षता ने अपना कुछ मूल्य खो दिया। धर्मनिरपेक्षता विशेष रूप से अल्पसंख्यकों, ख़ास तौर पर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा से जुड़ गई।
- धर्मनिरपेक्षता के अर्थ से अंतर-धार्मिक मुद्दों को बाहर रखना इसकी समग्र प्रभावशीलता के लिए हानिकारक था, जिसके कारण समर्थक और आलोचक दोनों ही धर्मनिरपेक्षता को केवल अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में देखने लगे।

प्रतियोगिता, चुनौती

- 2024 में, इस बात पर बहस चल रही है कि क्या "सबाल्टर्न हिंदुत्व" के उदय का मुकाबला करने के लिए "सबाल्टर्न धर्मनिरपेक्षता" नामक कोई अवधारणा हो सकती है।
- नरेन्द्र मोदी और उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी राहुल गांधी आम चुनाव को निम्नस्तरीय हिंदुत्व और निम्नस्तरीय धर्मनिरपेक्षता के बीच चुनाव के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।
- निम्नीकरण के इस विचार का विरोध झेलना पड़ रहा है ।
- राहुल गांधी जाति न्याय के मुद्दों को कांग्रेस की मुख्यधारा की विचारधारा में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने आरजेडी, समाजवादी पार्टी और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। कझगम , जो हाशिए पर पड़े समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी अपनी चुनौतियां भी हैं।
- राहुल गांधी के लिए असली चुनौती अपनी पार्टी के पारंपरिक अभिजात्यवाद को निम्न वर्ग के समूहों से अपील करने की आवश्यकता के साथ सामंजस्य बिठाना है, जहां बहुसंख्यक मतदाता हैं।
- सवाल यह है कि क्या वह श्री अय्यर, जो अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और श्री यादव, जो जमीनी स्तर से जुड़ते हैं, जैसे लोगों के बीच की खाई को पाट सकते हैं।

PatriotICAS

The case for election day as a holiday

In a vibrant democracy such as India, the right to vote is not just a privilege but also a fundamental duty enshrined in the Constitution. Several countries around the world such as Australia (where voting is mandatory), South Africa, South Korea, France provide a holiday on election day to facilitate voter participation.

Recent discussions have brought to light an intriguing debate surrounding the obligation of employers, particularly Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), to declare a holiday on election day. While some argue for the sanctity of this practice, citing constitutional principles, others question its necessity and potential infringement on individual liberties. Interestingly, several member-countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (made up largely of advanced democracies) conduct their national elections on a weekend. Other democratic nations such as the United States do not mandate election day as a paid holiday. Some States in the U.S. make election day as a paid holiday, while some do not. However, a study published by Princeton University, about 'Increasing Voter Turnout' said, "The results are clear. There is no evidence from the 'natural experiment' of states providing an election holiday for state employees that such holidays significantly increase voter turnout", concluding that "having an election holiday, by itself, is not an effective strategy to increase voter turnout."

The issue of a balance

The mandate for employers to declare a holiday on election day raises pertinent questions about the balance between civic responsibility and personal freedoms. Should businesses be compelled to provide a paid day off when voting is not obligatory? Is it fair to impose such obligations on employers?

Americai V. Narayanan

is an active politician of the Indian National Congress, a columnist and a political analyst

The issue must be seen as one that delves into the essence of democracy itself

Advocates for mandatory holiday declaration argue that the Constitution of India upholds the right to vote as a fundamental aspect of democratic governance. Therefore, ensuring access to polling booths by granting employees a day off is seen as a practical means to uphold this constitutional mandate. Additionally, organisations such as the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), the Associated Chambers of Commerce and Industry of India (ASSOCHAM), and National Association of Software and Services Companies (NASSCOM), as representatives of the business community, are expected to align with broader societal goals, including facilitating voter participation.

The counterargument to this perspective emphasises individual freedom and the principles of a free market economy. In a democracy, citizens are granted the liberty to choose whether or not to exercise their right to vote. By extension, employers should also have the discretion to determine their operational policies, including whether to provide a paid holiday on election day. Compelling them to do so may be perceived as an infringement on their autonomy and could potentially create undue burdens, especially for smaller businesses with limited resources. Comparisons with other democracies, such as the U.S., further complicate the matter. In the U.S., election day is not designated as a national holiday, and the onus is on individuals to manage their schedules to cast their votes. While some States have implemented provisions for paid time off to vote, it is not universally mandated at the federal level.

What should India do?

This raises questions about whether India should follow a similar approach, allowing for flexibility and adaptation to varying business needs and cultural contexts. The recent effort by the Home Secretary of Tamil Nadu, P. Amudha, suggesting linking paid leave to proof of voting introduces an interesting middle ground in this debate. By incentivising voter turnout while maintaining employer discretion, this proposal addresses both the importance of civic engagement and the concerns of businesses regarding operational disruptions. Employees would have the opportunity to exercise their democratic rights while also fulfilling their professional responsibilities, thereby striking a balance between individual liberties and societal obligations.

In perspective

Ultimately, the question of election day holiday mandates transcends mere legalities and delves into the essence of democracy itself. It is about fostering a culture of civic engagement while respecting the diverse needs and circumstances of both citizens and businesses. Rather than imposing rigid mandates, policymakers should explore innovative solutions that encourage voter participation without unduly burdening employers. As technology progresses sometime in the future, we may be able to vote, without any undue influence, in the privacy of our homes. The debate surrounding the obligation of employers to declare a holiday on election day is a nuanced one that touches upon fundamental principles of democracy, individual freedoms, and economic realities. While the Constitution underscores the importance of voting rights, it is imperative to strike a balance that respects both civic obligations and business autonomy. By fostering dialogue and exploring flexible solutions, India can uphold its democratic ethos while accommodating the dynamic needs of its diverse society.

The views expressed are personal

Patriotic

चुनाव दिवस को अवकाश घोषित करने का मामला (16 मई) (GS PAPER II: वोट का अधिकार)

- भारत में मतदान न केवल एक विशेषाधिकार है, बल्कि संविधान के अनुसार एक मौलिक कर्तव्य भी है।
  - भारत में वोट देने और निर्वाचित होने का अधिकार एक (यूपीएससी 2017)
  - (क) मौलिक अधिकार
  - (बी) प्राकृतिक अधिकार
  - (ग) संवैधानिक अधिकार
  - (घ) कानूनी अधिकार
- ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे कुछ देश मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए चुनाव के दिन अवकाश प्रदान करते हैं।
- इस बात पर बहस चल रही है कि क्या नियोक्ताओं, विशेषकर लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों (एसएमई) को चुनाव के दिन अवकाश घोषित करना चाहिए।
- समर्थकों का तर्क है कि यह संवैधानिक सिद्धांतों को कायम रखता है, जबकि अन्य इसकी आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संभावित प्रभाव पर सवाल उठाते हैं।
- ओईसीडी सदस्य देशों सहित कई उन्नत लोकतंत्र सप्ताहांत में राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका में चुनाव के दिन पूरे देश में सशुल्क अवकाश की आवश्यकता नहीं होती है, हालांकि कुछ राज्यों में ऐसा होता है।
- प्रिंसटन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि उन राज्यों में मतदान में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई जहां चुनाव का दिन राज्य कर्मचारियों के लिए अवकाश का दिन था।
- अध्ययन का निष्कर्ष है कि केवल चुनाव अवकाश होने से मतदान प्रतिशत में प्रभावी वृद्धि नहीं हो सकती।

संतुलन का मुद्दा

- चुनाव के दिन नियोक्ताओं को अवकाश प्रदान करने के लिए बाध्य करने पर बहस, नागरिक कर्तव्य और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन के बारे में प्रश्न उठाती है।
- समर्थकों का तर्क है कि चूंकि भारत का संविधान मतदान को मौलिक अधिकार मानता है, इसलिए कर्मचारियों को मतदान के लिए एक दिन की छुट्टी देना इस संवैधानिक जनादेश को कायम रखने का एक व्यावहारिक तरीका है।
- फिक्की, एसोचैम और नैसकॉम जैसे व्यावसायिक संगठनों से मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने सहित व्यापक सामाजिक लक्ष्यों का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है।
- विरोधी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों पर जोर देते हैं, तथा तर्क देते हैं कि नागरिकों को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे वोट देना चाहते हैं या नहीं, तथा नियोक्ताओं को अपनी परिचालन नीतियां निर्धारित करने का विवेकाधिकार होना चाहिए।
- चुनाव के दिन व्यवसायों को सवेतन अवकाश देने के लिए बाध्य करना उनकी स्वायत्तता का उल्लंघन माना जा सकता है, तथा इससे सीमित संसाधनों वाले छोटे व्यवसायों पर बोझ बढ़ सकता है।
- अमेरिका जैसे अन्य लोकतंत्रों से तुलना करने पर, जहां चुनाव का दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है और मतदान कार्यक्रम के प्रबंधन की जिम्मेदारी व्यक्तियों की होती है, यह मुद्दा और जटिल हो जाता है।
- यद्यपि कुछ अमेरिकी राज्य मतदान के लिए सवेतन अवकाश प्रदान करते हैं, लेकिन संघीय स्तर पर यह सार्वभौमिक रूप से अनिवार्य नहीं है।

भारत को क्या करना चाहिए?

- प्रश्न यह है कि क्या भारत को भी विभिन्न व्यापारिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए चुनाव दिवस संबंधी नीतियों के संबंध में अन्य देशों की तरह लचीला रुख अपनाना चाहिए।
- तमिलनाडु के गृह सचिव पी. अमुधा द्वारा हाल ही में दिए गए सुझाव में सवेतन अवकाश को मतदान के प्रमाण से जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, जो इस बहस में एक मध्यमार्ग प्रस्तुत करता है।
- यह प्रस्ताव मतदान में भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, जबकि नियोक्ताओं को परिचालन संबंधी मामलों में विवेकाधिकार बनाए रखने की अनुमति देता है।
- कर्मचारियों को अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मतदान करने का अवसर मिलेगा, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहेगा।

दृष्टिकोण में

- चुनाव के दिन अवकाश संबंधी आदेशों के बारे में बहस कानूनी मुद्दों से आगे बढ़कर लोकतंत्र के मूल तक जाती है।
- इसका उद्देश्य नागरिकों और व्यवसायों की विविध आवश्यकताओं पर विचार करते हुए नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देना है।
- सख्त नियम लागू करने के बजाय, नीति निर्माताओं को नियोक्ताओं पर अत्यधिक बोझ डाले बिना मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए रचनात्मक तरीके खोजने चाहिए।
- प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, भविष्य में बिना किसी बाहरी प्रभाव के घर से मतदान करने की संभावनाएं हो सकती हैं।
- इस बहस में लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक वास्तविकताओं के बुनियादी पहलू शामिल हैं।
- यद्यपि संविधान के अनुसार मताधिकार महत्वपूर्ण है, फिर भी एक ऐसा संतुलन खोजना महत्वपूर्ण है जो नागरिक कर्तव्यों और व्यावसायिक स्वायत्तता दोनों का सम्मान करता हो।
- भारत खुले संवाद और लचीले समाधानों के माध्यम से अपने समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढलते हुए अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रख सकता है।

- **भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)** भारत स्थित एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है।
  - इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर भारतीय व्यापारियों जीडी बिड़ला और पुरुषोत्तमदास द्वारा की गई थी। ठाकुरदास .
  - यह भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सर्वोच्च व्यावसायिक संगठन है।
  - फिक्की एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन के रूप में कार्य करता है।
- महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के समूह सीईओ और प्रबंध निदेशक डॉ. अनीश शाह वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं।
- फिक्की की सदस्यता में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं, जिनमें लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) और बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) शामिल हैं।
  - इसमें विभिन्न क्षेत्रीय वाणिज्य मंडलों की 250,000 से अधिक कंपनियों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है।
- चैंबर क्षेत्र-विशिष्ट व्यवसाय विकास, संवर्धन और नेटवर्किंग गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।
- फिक्की का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है और इसकी उपस्थिति भारत के 12 राज्यों तथा विश्व के 8 देशों में है।

एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) देश का सबसे पुराना शीर्ष कक्ष है।

- यह भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- यह 4,50,000 से अधिक सदस्यों के अपने नेटवर्क का लाभ उठाता है।
- एमएसएमई इसके सदस्यों का एक बड़ा हिस्सा हैं।
- एसोचैम की वैश्विक स्तर पर राज्यों और प्रमुख शहरों में मजबूत उपस्थिति है।
- इसमें 400 से अधिक एसोसिएशन, महासंघ और क्षेत्रीय चैंबर शामिल हैं।
- **इसकी स्थापना 1920 में कलकत्ता ट्रेडर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में वाणिज्य मंडलों के एक समूह द्वारा की गई थी।**
- भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
- मुद्दों और पहलों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।
- **जगह** :
  -
  - इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
  - अहमदाबाद, बेंगलुरु, रांची, जम्मू, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर और भुवनेश्वर में क्षेत्रीय कार्यालय।
- **पहल** :
  - सदस्य सशक्तिकरण, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और कौशल, स्वच्छता, सकारात्मक कार्रवाई, सड़क सुरक्षा, आजीविका, जीवन कौशल और स्थिरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पहल का नेतृत्व करते हैं।

नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) एक गैर-लाभकारी उद्योग संघ है, जो भारत में 250 बिलियन डॉलर के प्रौद्योगिकी उद्योग पर शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।

- इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात, रोजगार, बुनियादी ढांचे और वैश्विक दृश्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
- यह उद्योग भारत में निजी क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है।
- **स्थापना** :
  - नैसकॉम की स्थापना 1988 में हुई थी।
- **केंद्र** :
  - नैसकॉम का ध्यान प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के लिए अभिन्न संरचना के निर्माण पर केंद्रित है।
  - यह नीति वकालत के माध्यम से और क्षेत्र के लिए रणनीतिक दिशा निर्धारित करने में सहायता करके ऐसा करता है।
- **नेतृत्व** :

Patriot IAS

- नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं ।
- **संबद्धता** :
  - नैसकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

सवाल: सवेतन अवकाश के प्रावधान के माध्यम से मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित करने की प्रभावशीलता का आकलन करें। (250 शब्द/15 अंक)

अपराध और समय: चुनाव के समय कारावास पर (16 मई)

चुनाव के समय कारावास से लोकतांत्रिक भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है

- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा वे अपने गृह राज्य में आम चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग कर रहे हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव के महत्व पर जोर देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव समाप्त होने तक अंतरिम जमानत दे दी।
- न्यायालय ने माना कि प्रमुख नेताओं को चुनावी लोकतंत्र के लिए प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन पहले अभियोजन पक्ष की आपत्तियों को सुनने का निर्णय लिया।
- न्यायालय ने श्री सोरेन के मामले पर विचार करने के लिए अनुरोधित तिथि 20 मई से पहले 17 मई की सुनवाई की तिथि निर्धारित की।
- अभियोजन पक्ष की आपत्तियों को सुनने के बाद ही जमानत आदेश दिया जाना चाहिए ताकि निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।
- श्री सोरेन के मामले में देरी झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका पर निर्णय देने में दो महीने की देरी के कारण हुई।
- श्री सोरेन पर भूमि की अवैध बिक्री से संबंधित धन शोधन का आरोप है, जबकि श्री केजरीवाल पर अनुकूल आबकारी नीति अपनाने से संबंधित रिश्वतखोरी का आरोप है।
- उनके मामलों के गुण-दोष में अंतर है, श्री केजरीवाल का मामला अनुमोदकों के बयानों पर आधारित है, जबकि श्री सोरेन का मामला दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित है।
- धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत सख्त जमानत प्रावधानों के तहत अदालतों को जमानत के चरण में मामले के समग्र गुण-दोष पर विचार करना आवश्यक होता है।
- चुनाव के समय कारावास से प्रभावित पक्षों को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचता है तथा लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचता है।

नया कार्यकाल, पुरानी समस्याएं: पुतिन का नया कार्यकाल और यूक्रेन युद्ध (16 मई)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए युद्ध के प्रभावों को अपने घर पर पड़ने से रोकना मुश्किल हो रहा है

- रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपने पांचवें कार्यकाल के बाद व्लादिमीर पुतिन ने लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे सर्गेई शोइगु को हटा दिया।
- रक्षा मंत्रालय चलाने के लिए असैन्य अर्थशास्त्री आंद्रेई बेलौसोव की नियुक्ति यूक्रेन में रूस के युद्ध के आर्थिक पहलू को उजागर करती है।
- शोइगू द्वारा युद्ध को शीघ्रता से निपटाने की आलोचना के कारण, उनकी पिछली सफलताओं के बावजूद उन्हें हटा दिया गया। रूस को उम्मीद थी कि युद्ध शीघ्रता से निपट लेगा।
- सैन्य उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय में बदलाव करना है ।
- रूस ने हाल ही में पूर्वोत्तर यूक्रेन में एक नया आक्रमण शुरू किया, जिसमें देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को निशाना बनाया गया।
- यूक्रेन को अमेरिका से नए हथियारों की उम्मीद है, लेकिन यह अनिश्चित है कि क्या वे रूस की प्रगति का मुकाबला कर पाएंगे।
- पुतिन का तात्कालिक लक्ष्य युद्ध जीतना है, लेकिन पश्चिम के साथ रूस के संबंधों को नुकसान पहुंचने तथा चीन के साथ गहरे होते संबंधों के कारण जीत का मार्ग अस्पष्ट है।
- आंतरिक रूप से पुतिन ने राज्य और समाज पर नियंत्रण कड़ा कर लिया है तथा असहमति को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं।
- रूस अब तक आम नागरिकों को प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने में कामयाब रहा है, लेकिन युद्ध की अवधि चुनौतियां पेश करती है।
- यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस के काला सागर बेड़े और सीमावर्ती शहरों पर हमला किया है, जिससे युद्ध की लागत बढ़ गई है।
- पुतिन का मानना है कि गति उनके पक्ष में है, लेकिन निरंतर संघर्ष रूस को आंतरिक रूप से दमनकारी, आर्थिक रूप से कमजोर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग कर सकता है।

भारतीय राजनीति पर सोशल मीडिया का प्रभाव (16 मई) (GS PAPER I: समाज)

पारंपरिक मीडिया द्वारा जीवित रहने के लिए अधिक उत्तेजक, पक्षपातपूर्ण विषय-वस्तु की ओर रुख करने से इसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई है।

- उत्तर प्रदेश में एक युवा मुस्लिम व्यक्ति चुनाव में कांग्रेस की संभावित जीत का श्रेय ध्रुव राठी को देता है।

PatriotiCAS

- आगरा के युवा जाटव पुरुष भी ध्रुव राठी और स्थानीय ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों का उल्लेख उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के रूप में करते हैं, जिन्हें वे फॉलो करते हैं।
- मोहनलालगंज में रावत समुदाय से आने वाले सत्तारूढ़ भाजपा के एक समर्थक ने भी यूट्यूब पर नियमित रूप से रवीश को सुनने की बात स्वीकार की।
- कई लोग इन प्रभावशाली व्यक्तियों के शो और एपिसोड की विषय-वस्तु को विस्तार से याद कर सकते हैं।
- इस चुनाव को भारत में पहला सोशल मीडिया चुनाव बताया जा रहा है।
- **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने वैकल्पिक दृष्टिकोणों के लिए स्थान उपलब्ध कराया है जो राज्य नियंत्रण से स्वतंत्र हैं।**
- परिणामस्वरूप, सरकार की कहानी और सोशल मीडिया पर साझा किए गए दृष्टिकोणों के बीच स्पष्ट संज्ञानात्मक असंगति देखने को मिलती है।

बदलती रूपरेखा

- सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पारंपरिक मीडिया के साथ संज्ञानात्मक असंगति पैदा करने के लिए किया गया था।
- सोशल मीडिया पर एक "दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र" उभरा, जो खुले तौर पर राजनीतिक रूप से पक्षपाती था और विभिन्न विषयों पर टिप्पणी करके सीमाओं को लांघ रहा था।
- पारंपरिक मीडिया ने दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र की विषय-वस्तु को प्रतिध्वनित करना शुरू कर दिया, जिससे जनता को मिलने वाली विषय-वस्तु भी संतृप्त हो गई।
- लोग पारंपरिक मीडिया द्वारा किये जाने वाले नियंत्रण को पहचानने लगे हैं, यहां तक कि भाजपा के मूल समर्थक भी इसके पूर्वाग्रह को स्वीकार करने लगे हैं।
- **पारंपरिक मीडिया द्वारा अधिक पक्षपातपूर्ण विषय-वस्तु की ओर बदलाव ने सोशल मीडिया पर आलोचनात्मक आवाज उठाने का अवसर पैदा किया।**
- **ये आलोचनात्मक आवाजें किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी नहीं होतीं, जिससे उन्हें पारंपरिक मीडिया द्वारा त्याग दी गई विश्वसनीयता हासिल करने का मौका मिल जाता है।**
- **कई लोगों को भारत के दृष्टिकोण की विविधता के कारण सोशल मीडिया के माध्यम से भारत की सटीक तस्वीर प्राप्त करना आसान लगता है।**
- प्रमुख कथानक को चुनौती देने वाले प्रभावशाली लोगों ने तेजी से बढ़ती विषय-वस्तु को बढ़ावा देने वाले एल्गोरिदम की सहायता से गति प्राप्त की है।
- उदाहरण के लिए, **ध्रुव राठी के वीडियो "क्या भारत तानाशाही बन रहा है?" को यूट्यूब पर 25 मिलियन बार देखा गया है** , तथा इसका प्रभाव सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर भी फैल रहा है।
- सोशल मीडिया ने राजनीतिक सहभागिता के लिए एक मंच प्रदान किया है, विशेष रूप से भय से चुप रहने वाले मतदाताओं के लिए।
- मोहनलालगंज में जाटव समुदाय से आने वाला एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर डर के कारण सार्वजनिक रूप से अराजनीतिक बना हुआ है, लेकिन भाजपा के खिलाफ बढ़ती निराशा व्यक्त करता है।
- **सोशल मीडिया को शिक्षित युवाओं द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है**, जिन्हें कभी प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य समर्थक के रूप में देखा जाता था।
- 10 वर्षों के बाद, कई युवा अपनी आकांक्षाएं खो देते हैं और विभिन्न कारणों से निराश महसूस करते हैं।
- बाराबंकी जैसे क्षेत्रों में , प्रमुख जनसांख्यिकी समुदाय, कुर्मी आबादी के बीच विभाजन स्पष्ट है, तथा शिक्षित युवा भाजपा से दूर जा रहे हैं।
- यह बदलाव चुनाव परिणामों में परिलक्षित हुआ, जहां भाजपा ने पिछले चुनावों की तुलना में कई निर्वाचन क्षेत्रों में हार का सामना किया।
- **यद्यपि विचारों की विविधता और सक्रिय राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संकेत हैं, फिर भी इसके दीर्घकालिक निहितार्थों की जांच की आवश्यकता है।**
- राजनीतिक आख्यान अब औपचारिक पार्टी प्रणाली के बाहर तैयार किये जा रहे हैं, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और बिचौलियों की भूमिका कम होती जा रही है।
- सोशल मीडिया नेताओं को सीधे तौर पर आख्यान को आकार देने की अनुमति देता है, जिससे राजनीतिक दलों के भीतर अधिक केंद्रीकरण होता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एल्गोरिदम मतदाताओं के बीच गहरे ध्रुवीकरण में योगदान करते हैं।
- राजनीतिक मुद्दों को प्रस्तुत करने में पारंपरिक मीडिया की विश्वसनीयता में गिरावट के कारण चुनावों में सोशल मीडिया की भूमिका बढ़ गई है।
- तर्कसंगत चर्चा और भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभुत्व का प्रभाव 2024 के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है।

पैचीडर्म मार्गों के साथ संघर्ष (16 मई)

हाथी के हमले में कादर जनजाति के एक व्यक्ति की मौत से तमिलनाडु में चिंता फैल गई

- **तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में** एक कादर जनजाति के व्यक्ति की हाल ही में मृत्यु हो गई। हाथी के हमले के कारण हुई इस घटना ने स्थानीय समुदाय और संरक्षणवादियों दोनों को स्तब्ध कर दिया है।
- कादर **जनजातियाँ जंगली हाथियों के साथ लंबे समय से सह-अस्तित्व के लिए जानी जाती हैं।**

- कादर को भारत में एक आदिवासी या स्वदेशी समुदाय के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्यों में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है।
- उन्हें एक आदिवासी जनजाति माना जाता है जिनकी पारंपरिक आजीविका शिकार और संग्रहण पर आधारित है।
- कादर लोग विभिन्न वन संसाधनों जैसे शहद, मोम, साबूदाना, अरारोट, इलायची, अदरक और छाता छड़ियों को इकट्ठा करने में विशेषज्ञ हैं, जिनका वे मैदानी इलाकों के व्यापारियों के साथ व्यापार करते हैं।

PatrioticIAS

- परैयार समुदाय का मानना है कि कादर उनके समुदाय का हिस्सा हैं तथा वे वन संरक्षण और वन जीवन की सुरक्षा में उनकी भूमिका पर बल देते हैं।
- तमिलनाडु में मानव-हाथी नकारात्मक संबंध, आवास क्षरण, वन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों तथा हाथियों के महत्वपूर्ण आवागमन मार्गों में अवरोध के कारण बढ़ रहे हैं।
- बढ़ते खतरे को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने हाथी गलियारों की पहचान करने के लिए एक पैनल का गठन किया है।
- पैनल की अध्यक्षता अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. नागनाथन कर रहे हैं।
- इसका उद्देश्य राज्य में विद्यमान गलियारों का पुनर्मूल्यांकन करना है, जिनमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट प्रभाग तथा भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट (डब्ल्यूटीआई) द्वारा किए गए पूर्व अध्ययनों में पहचाने गए गलियारे भी शामिल हैं।

आलेख जानकारी

- पैनल ने हाल ही में 42 **हाथी गलियारों की सूची जारी की** तमिलनाडु में.
- आम जनता से 5 मई तक मसौदा रिपोर्ट पर टिप्पणियां देने के लिए कहा गया है।
- पर्यावरणविदों ने पिछली रिपोर्टों की तुलना में गलियारों की संख्या दोगुनी करने के लिए रिपोर्ट की प्रशंसा की।
- प्रोजेक्ट एलीफेंट डिवीजन की 2023 की रिपोर्ट में 20 गलियारों की पहचान की गई, जबकि वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूटीआई) ने 19 गलियारों की पहचान की।
- 2023 में दक्षिणी राज्यों में की गई जनगणना के दौरान तमिलनाडु में 26 वन प्रभागों में हाथियों की आबादी 2,961 दर्ज की गई।
- गुडालुर , होसुर और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व (एसटीआर) में हाथियों और मनुष्यों के बीच तीव्र संघर्ष देखा जाता है , जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में हताहत होते हैं।

अप्राकृतिक मौतें

- 2010 से अब तक तमिलनाडु में कुल 1,593 हाथियों की मृत्यु हुई, जिनमें से 168 को 'अप्राकृतिक मृत्यु' के रूप में वर्गीकृत किया गया।
- अप्राकृतिक मौतों का प्राथमिक कारण विद्युत-घात था, इसके बाद चारा बम, जहर, सड़क दुर्घटनाएं, रेलगाड़ी टक्कर और शिकार थे।
- अधिकांश अप्राकृतिक मौतें जंगलों के बाहर होती हैं, जब हाथी जंगल की परिधियों में घूमते हैं और अवैध बिजली की बाड़ों तथा लटकती बिजली लाइनों जैसे खतरों का सामना करते हैं।
- हाथियों की मृत्यु को कम करने और हाथियों की स्थायी आबादी को बनाए रखने के लिए हाथियों के गलियारों और सुरक्षित आवागमन पथों को सुरक्षित करना महत्वपूर्ण है।
- मसौदा कॉरिडोर रिपोर्ट को किसान संगठनों और राजनीतिक दलों सहित कुछ हितधारकों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ा।
- चिंताओं में भूमि और आजीविका खोने का भय, प्रतिबंध और अपर्याप्त परामर्श शामिल थे।
- बेहतर समझ के लिए मसौदे को तमिल में जारी करने का अनुरोध किया गया।
- क्षेत्र जिले में आपत्तियों का निराकरण करने तथा शांतिपूर्ण मानव-पशु सह-अस्तित्व के लिए समाधान ढूंढने के लिए सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी ।

PatriotICAS

दक्षिण एशिया में हुए विस्थापनों में मणिपुर का योगदान 97% रहा (16 मई)

कोविड -19 के कारण 69,000 लोग विस्थापित हुए हैं। आईसीटी , जिसमें मणिपुर हिंसा की हिस्सेदारी 67,000 है

- 2023 में संघर्ष और हिंसा के कारण दक्षिण एशिया में 69,000 लोग विस्थापित होंगे।
- इनमें से अधिकांश विस्थापन, लगभग 67,000, भारत के मणिपुर में हुए।
- जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (आईडीएमसी) की रिपोर्ट के अनुसार, 2018 के बाद से भारत में विस्थापन की यह सबसे अधिक संख्या है।
- मणिपुर में विस्थापन मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय संघर्ष के कारण हुआ।
- ये झड़पें 3 मई, 2023 को मणिपुर के पहाड़ी जिलों में आयोजित 'आदिवासी एकजुटता मार्च' से शुरू हुईं।
- यह मार्च मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में निकाला गया था।
- हिंसा के परिणामस्वरूप 200 से अधिक लोग हताहत हुए।
- मणिपुर उच्च न्यायालय ने इससे पहले मैतेई समुदाय को हाशिए पर जाने से रोकने के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए सिफारिशें मांगी थीं।
- मणिपुर में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग को कुकी सहित अन्य स्थानीय एसटी समुदायों की ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा ।
- भूमि विवाद तनाव का एक महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण था।
- 3 मई, 2023 को चुराचांदपुर जिले में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जो इम्फाल पूर्व, इम्फाल पश्चिम, बिष्णुपुर, तेंगनौपाल और कांगपोकपी जैसे अन्य जिलों में फैल गया , जिसके परिणामस्वरूप लगभग 67,000 लोग विस्थापित हुए।
- आंतरिक विस्थापन से तात्पर्य किसी देश की सीमाओं के भीतर विस्थापन का कारण बनने वाली घटनाओं या घटनाओं के कारण व्यक्तियों के जबरन पलायन से है।

- तीन-चौथाई से अधिक विस्थापन मणिपुर में हुआ, जबकि पांचवां हिस्सा पड़ोसी राज्य मिजोरम में गया, तथा कुछ कम संख्या में लोग नागालैंड और असम में गए।
- हिंसा के जवाब में, केंद्र सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, सुरक्षा बलों को तैनात किया, राहत शिविर स्थापित किए और मणिपुर के लिए एक शांति समिति का गठन किया, हालांकि इसके गठन को लेकर मतभेद थे।
- 2023 के अंत तक भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की संख्या 0.61 मिलियन होगी।
- वैश्विक स्तर पर, 2023 तक, 68.3 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित हुए, जिसमें पिछले पांच वर्षों में 22.6 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की वृद्धि हुई है, जो 2022 और 2023 में विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
- मानचित्र 3 में 2023 तक देशवार आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) की संख्या प्रदर्शित की गई है।
- सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में संघर्ष के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, जो 2023 में संघर्ष के कारण लोगों के नए विस्थापन का लगभग दो-तिहाई हिस्सा होगा।
- वर्ष 2023 के दौरान, सूडान में हिंसा के कारण छह मिलियन लोगों को जबरन पलायन करना पड़ा, जो एक वर्ष के भीतर दूसरे सबसे अधिक जबरन पलायन का आंकड़ा है, जबकि वर्ष 2022 में यूक्रेन में यह संख्या 16.9 मिलियन थी।

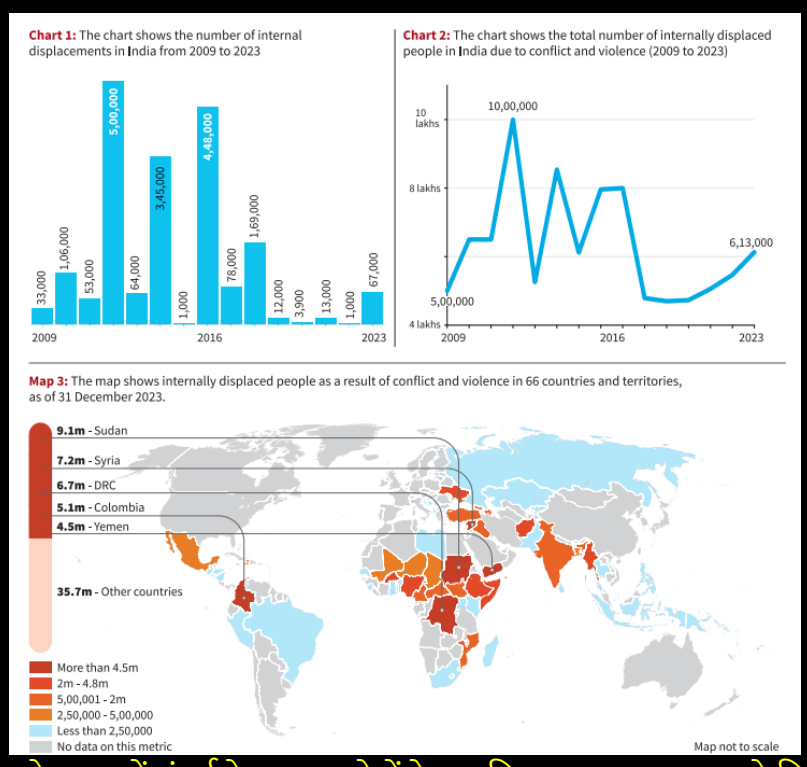

- वैश्विक स्तर पर, 2023 में संघर्ष के परिणामस्वरूप 20.5 मिलियन आंतरिक विस्थापन होंगे।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी विस्थापन हो सकता है, जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या में योगदान देता है। प्राकृतिक आपदाओं पर विचार करते समय, 2023 के अंत तक कुल IDP 75.9 मिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए, जिसमें 7.7 मिलियन विस्थापन आपदाओं के कारण हुए। यह आंकड़ा 2022 के अंत में 71.1 मिलियन से बढ़ गया।

दिल्ली में बढ़ते कचरा संकट पर (16 मई)

अपनी प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में प्रति व्यक्ति कचरे के उत्पादन के साथ-साथ कचरे की मात्रा में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।

- सर्वोच्च **न्यायालय ने हाल ही में नई दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) की स्थिति की आलोचना की, जिससे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकृष्ट हुआ।**
- **राष्ट्रीय राजधानी में 3,800 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट अनुपचारित पड़ा है।**
- यह अनुपचारित अपशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बन जाता है क्योंकि यह लैंडफिल में पहुंच जाता है।
- लैंडफिल में ठोस अपशिष्ट के संचय से आसपास के क्षेत्रों और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

दिल्ली की एसडब्लूएम प्रणाली की स्थिति क्या है?

- 2011 की जनगणना के अनुसार, नई दिल्ली की जनसंख्या लगभग 1.7 करोड़ थी, जो 2024 में लगभग 2.32 करोड़ होने की उम्मीद है, तथा 2031 तक 2.85 करोड़ तक बढ़ने का अनुमान है।
- प्रति व्यक्ति औसतन 0.6 किलोग्राम/दिन कचरा उत्पन्न होने के साथ, नई दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 13,000 टन कचरा उत्पन्न होता है, जो लगभग 1,400 ट्रक लोड के बराबर है, इस प्रकार कुल मिलाकर प्रति वर्ष लगभग 42 लाख टन कचरा उत्पन्न होता है।
- 2031 तक, जनसंख्या वृद्धि के साथ, अपशिष्ट उत्पादन 17,000 टीपीडी तक बढ़ सकता है।
- नई दिल्ली में उत्पन्न होने वाले लगभग 90% कचरे को तीन नगर निगमों द्वारा एकत्र किया जाता है: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली नगर निगम।
- सामान्यतः भारतीय शहरों में उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का लगभग 50-55% जैवनिम्नीकरणीय गीला अपशिष्ट होता है, 35% गैर-जैवनिम्नीकरणीय गीला अपशिष्ट होता है, तथा 10% निष्क्रिय घटक होता है।
- तदनुसार, नई दिल्ली में 7,000 टीपीडी गीला कचरा, 4,800 टीपीडी सूखा कचरा तथा 2,000 टीपीडी निष्क्रिय कचरा होगा।

दिल्ली में एसडब्लूएम की प्रसंस्करण क्षमता के बारे में क्या कहना है?

- भलस्वा , नरेला, बवाना, तेहखंड , एसएमए औद्योगिक क्षेत्र, निलोठी और गाजीपुर में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं हैं।
- इन सुविधाओं की सामूहिक डिजाइन क्षमता लगभग 9,200 टीपीडी (टन प्रति दिन) है।
- इन सुविधाओं में लगभग 900-1,000 टीपीडी क्षमता वाली कम्पोस्ट सुविधाएं और 8,200 टीपीडी क्षमता वाली अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
- हालाँकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) तीन नामित लैंडफिल: गाजीपुर, भलस्वा और ओखला में 3,800 टीपीडी के अप्रसंस्कृत कचरे का निपटान कर रहा है।
- इन लैंडफिलों में अप्रसंस्कृत गीला और सूखा कचरा होता है, जिससे मीथेन गैसें, रिसाव उत्पन्न होते हैं और लैंडफिल में आग लग जाती है, जिससे आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इन लैंडफिलों में अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के एकत्र होने के कारण 200 एकड़ से अधिक भूमि पर 2.58 करोड़ टन का भारी भरकम कचरा जमा हो गया है।
- एमसीडी ने कचरे की मात्रा को कम करने के लिए 2019 में बायोमाइनिंग की शुरुआत की थी, लेकिन कोविड-19 महामारी ने इन प्रयासों को रोक दिया।
- प्रारंभ में इसे 2024 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन अब बायोमाइनिंग में दो से तीन वर्ष और लगेंगे।
- हालाँकि, पर्यावरणीय प्रभाव तब तक जारी रहेगा जब तक कि ताजा कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण नहीं किया जाता।

PatriciAS

- वर्तमान में 3,800 टीपीडी अप्रसंस्कृत अपशिष्ट के संचय के कारण, लैंडफिल केवल बड़े और ऊंचे होते जाएंगे।

एमसीडी की चुनौतियां क्या हैं?

- स्रोत पर कचरे को अलग-अलग न करना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने कचरे को अलग-अलग नहीं करते हैं, जिसके कारण बिना संसाधित मिश्रित कचरा लैंडफिल में चला जाता है।
- कचरा प्रसंस्करण संयंत्रों को बड़े भूखंडों की आवश्यकता होती है, प्रत्येक के लिए लगभग 30-40 एकड़, जो दिल्ली में मिलना मुश्किल है। भूमि की इस कमी के कारण कचरे का एक बड़ा हिस्सा बिना उपचार के ही रह जाता है।
- उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के बारे में लोगों में जागरूकता कम है, जिससे कूड़ा-कचरा और अनुचित निपटान की आदतें बढ़ रही हैं। इससे एमसीडी का ध्यान गीले कचरे को संसाधित करने के बजाय खुले स्थानों को साफ करने की ओर चला जाता है।
- कुछ क्षेत्रों में नियमित अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप अपशिष्ट एकत्रित हो रहा है और कूड़ा-कचरा फैल रहा है।
- खुले क्षेत्रों और जल निकायों में अवैध कूड़ा फेंकने से नगर निगम पर दबाव बढ़ता है, जिससे सफाई प्रयासों के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
- विभिन्न नगर निगमों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय की कमी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन अकुशल हो जाता है, जिससे शहर के अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों के समाधान के लिए एमसीडी के प्रयास जटिल हो जाते हैं।

कचरे को अलग करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?

- दिल्ली को प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के लिए अपनी अपशिष्ट प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है।
- दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को एक ऐसी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की योजना बनानी चाहिए जो लगभग तीन करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके।
- शहर की अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की कुल डिजाइन क्षमता 18,000 टन प्रतिदिन (टीपीडी) होनी चाहिए।
- बायोडिग्रेडेबल गीले कचरे को खाद में बदला जाना चाहिए या बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। गीले कचरे के प्रसंस्करण के लिए डिज़ाइन क्षमता 9,000 टन निर्धारित की जानी चाहिए ।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी जैवनिम्नीकरणीय गीला कचरा लैंडफिल तक न पहुंचे, दिल्ली को कम से कम 18 कम्पोस्ट या बायोगैस संयंत्रों की आवश्यकता होगी।
- गैर-जैवनिम्नीकरणीय सूखा अपशिष्ट, जो कुल अपशिष्ट का लगभग 33% है, को पुनर्चक्रण सुविधाओं के माध्यम से संसाधित किया जा सकता है।
- शेष गैर-पुनर्चक्रणीय शुष्क अपशिष्ट अंश, जिसे अपशिष्ट-व्युत्पन्न ईंधन (आरडीएफ) के रूप में जाना जाता है, का उपयोग अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है।
- हालांकि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाने वाली परियोजनाओं में बिजली उत्पादन की लागत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन करना और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना है, विशेष रूप से लैंडफिल में आग लगने से होने वाले प्रभावों को।

क्या अपशिष्ट प्रसंस्करण का विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है ?

- दिल्ली को अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए बड़े भूखंडों की पहचान करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे खाद संयंत्र स्थापित करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- गीले कचरे से उत्पादित जैविक खाद का बाजार हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों में मौजूद है।
- तमिलनाडु और केरल ने वार्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत माइक्रो-कम्पोस्टिंग सेंटर (एमसीसी) स्थापित किए हैं, जो शहर के लगभग 20% गीले कचरे का प्रबंधन करते हैं।
- बेंगलुरु ने वार्ड स्तर पर सूखा कचरा संग्रहण केंद्र (डीडब्ल्यूसीसी) स्थापित किए हैं जो लगभग 10% सूखे कचरे का प्रबंधन करते हैं।
- दिल्ली की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) प्रणाली में गीले और सूखे दोनों प्रकार के अपशिष्टों के लिए विकेन्द्रीकृत विकल्पों को एकीकृत किया जाना चाहिए, साथ ही बड़ी प्रसंस्करण सुविधाएं भी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अपशिष्टों का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जाए।
- मौजूदा प्रसंस्करण सुविधाओं को पूरी क्षमता से संचालित किया जाना चाहिए, जबकि बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन से निपटने के लिए नई सुविधाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।
- शहरी स्थानीय निकायों को कुशल एसडब्लूएम प्रसंस्करण के लिए भारत और विदेशों के अन्य शहरों में सफल अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं से सीखना चाहिए।

प्रथम वर्ष में 1,300 से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अन्नल अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना से लाभ मिला (16 मई)

- तमिलनाडु में अन्नल अम्बेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना (एएबीसीएस) का उद्देश्य अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदायों के आर्थिक विकास और उद्यमियों को बढ़ावा देना है।
- इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कुल 1,303 उद्यमियों ने अपने व्यवसायों के लिए 134.86 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी का लाभ उठाया है।

- इस योजना में पात्र परियोजना लागत पर 35% पूंजी सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.5 करोड़ रुपये है, तथा 10 वर्ष से अधिक अवधि के ऋण पर 6% ब्याज अनुदान की पेशकश की गई है।
- इसमें कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, लेकिन अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 55 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के नए और मौजूदा दोनों उद्यमी लाभ के लिए पात्र हैं।
- उद्यमी अपने परियोजना प्रस्ताव अपने जिलों के जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) को प्रस्तुत कर सकते हैं।
- कलेक्टर के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स प्रस्तावों का मूल्यांकन करता है और मंजूरी प्रदान करता है।
- एक बार स्वीकृति मिलने पर, लाभार्थी अपने ऋणों के लिए पूंजी सब्सिडी और ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
- कोयम्बटूर की 50 वर्षीय सहायक प्रोफेसर से उद्यमी बनीं टी. चित्रलेखा ने जब डीआईसी से संपर्क किया तो उन्हें एएबीसीएस के बारे में जानकर आश्चर्य हुआ।
- उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पति के ऑटो पार्ट्स निर्माण के अनुभव से प्रेरित होकर उद्यमी बनने का निर्णय लिया।
- चित्रलेखा को इस योजना से 62.37 लाख रुपये की पूंजी सब्सिडी मिली और उन्होंने कोयंबटूर के विलंकुरिची में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऑटोमोबाइल पार्ट्स निर्माण इकाई शुरू की।
- उनके उद्यम में लगभग 25 लोग कार्यरत हैं और वे अग्रणी ऑटोमोबाइल और साइकिल निर्माताओं को उत्पाद आपूर्ति करते हैं।
- सलेम के 54 वर्षीय लाभार्थी पी. प्रभाकरन ने सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन देखने के बाद डीआईसी से संपर्क किया।
- उन्हें भारी मशीनरी और सामान के परिवहन के लिए तीन 14-पहिया ट्रक खरीदने के लिए 51 लाख रुपये की सब्सिडी मिली।
- प्रभाकरन को सरकार से इस योजना के बारे में और अधिक जागरूकता की उम्मीद है।
- सरकार लाभार्थियों को अपने उद्यम खातों का प्रबंधन करने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।
- 1,303 लाभार्थियों में से 288 महिलाएं हैं, जिन्हें कुल 33.09 करोड़ रुपये की पूंजी सब्सिडी प्राप्त हुई।

अन्नाल अंबेडकर बिजनेस चैंपियन योजना तमिलनाडु सरकार के अनुसार, 2023 में इसे शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से, तमिलनाडु की राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के सदस्यों के आर्थिक विकास का समर्थन करेगी। 2023-2024 के तमिलनाडु बजट भाषण में अन्नल अंबेडकर बिजनेस चैंपियंस योजना की घोषणा की गई।

- **योजना का नाम**: अन्नाल अंबेडकर बिजनेस चैंपियन योजना
- तमिलनाडु बजट 2023-24 की प्रस्तुति के दौरान तमिलनाडु राज्य के वित्त मंत्री **द्वारा प्रस्तुत किया गया**
- **राज्य**: तमिलनाडु
- **उद्देश्य** : मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए ऋण पर पूंजी सब्सिडी और ब्याज दर रियायतें देकर एससी/एसटी व्यवसाय मालिकों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
- **पूंजीगत सब्सिडी** : 35%
- **ब्याज अनुदान** : 6%
- **बजटीय आवंटन** : 100 करोड़ रुपये

PatrioticIAS

प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न :

प्रश्न 1: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) भारत में एक विशेष बल है जो निम्नलिखित से निपटता है: (क) कानून और व्यवस्था बनाए रखना (बी) साइबर सुरक्षा खतरों का प्रबंधन (ग) आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और राहत (घ) आतंकवाद विरोधी अभियान	उत्तर: (सी) आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और राहत व्याख्या: एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के तहत एक विशेष बल है जिसे विशेष रूप से प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के दौरान आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया और राहत कार्यों का कार्य सौंपा गया है।
प्रश्न 2: एनडीआरएफ बटालियन भारत के विभिन्न भागों में तैनात हैं। एनडीआरएफ बटालियनों के स्थान को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक क्या है? (क) क्षेत्र का राजनीतिक महत्व (ख) क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व (ग) क्षेत्र में आपदाओं का ऐतिहासिक रिकॉर्ड (घ) क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की उपलब्धता	उत्तर: (ग) क्षेत्र में आपदाओं का ऐतिहासिक रिकॉर्ड व्याख्या: एनडीआरएफ बटालियन के स्थानों को उस क्षेत्र में विशिष्ट आपदाओं की ऐतिहासिक व्यापकता के आधार पर रणनीतिक रूप से चुना जाता है। इससे आपदा आने पर त्वरित प्रतिक्रिया समय मिलता है।
प्रश्न 3: आपदा प्रतिक्रिया कार्यों के दौरान एनडीआरएफ विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग करता है। ऐसे परिदृश्यों में एनडीआरएफ के साथ सहयोग करने वाला सबसे अधिक कौन नहीं है? (क) स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन	उत्तर: (घ) आपदा राहत में विशेषज्ञता वाली निजी कंपनियाँ **स्पष्टीकरण**: एनडीआरएफ मुख्य रूप से सरकारी एजेंसियों और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के साथ सहयोग करता है। आमद

(बी) राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) (ग) भारतीय सशस्त्र बल (घ) आपदा राहत में विशेषज्ञता वाली निजी कंपनियाँ	और नगद (न ی रोहा ی امداد و نجات फ़ारसी में "बचाव बल" के लिए प्रयोग किया जाता है) जैसे कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), भारतीय सशस्त्र बल और आपदा प्रतिक्रिया के लिए स्थानीय अधिकारी। निजी कंपनियाँ विशिष्ट परिस्थितियों में शामिल हो सकती हैं, लेकिन वे प्राथमिक सहयोगी नहीं हैं।
प्रश्न 4: भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) है: (क) व्यापार विनियमन के लिए जिम्मेदार एक सरकारी विभाग (बी) वैश्विक वाणिज्य को बढ़ावा देने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन (ग) भारतीय व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष गैर-सरकारी संगठन (घ) भारत में वित्तीय क्षेत्र की देखरेख करने वाली एक नियामक संस्था	उत्तर: (सी) भारतीय व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शीर्ष गैर-सरकारी संगठन **व्याख्या:** फिक्की भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गैर-सरकारी संगठन है जो विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है।
प्रश्न 5: फिक्की के कुछ प्रमुख कार्य क्या हैं? (क) व्यावसायिक विनियमन स्थापित करना और लागू करना (बी) व्यवसायों को वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान करना (ग) सरकार और नीति निर्माताओं के समक्ष व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करना (घ) औद्योगिक इकाइयों का प्रत्यक्ष प्रबंधन एवं संचालन	उत्तर: (ग) सरकार और नीति निर्माताओं के समक्ष व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करना **स्पष्टीकरण:** फिक्की भारतीय व्यवसायों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह उन नीतियों के लिए पैरवी करता है जो व्यवसाय विकास को बढ़ावा देती हैं, आर्थिक मुद्दों पर सिफारिशें प्रदान करती हैं, और नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के नेताओं के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती हैं।
प्रश्न 6: नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (नैसकॉम) निम्नलिखित में से किसका शीर्ष निकाय है? (क) भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग (बी) भारतीय दवा उद्योग (ग) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग (घ) भारतीय कृषि क्षेत्र	उत्तर: (सी) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग **व्याख्या:** नैसकॉम भारतीय आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) उद्योग के लिए अग्रणी व्यापार संघ है।
प्रश्न 7: नैसकॉम भारतीय आईटी उद्योग के विकास में किस प्रकार योगदान देता है? (क) आईटी पेशेवरों के लिए शैक्षिक मानक निर्धारित करना (बी) आईटी स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान प्रदान करना (ग) उद्योग-अनुकूल नीतियों के लिए सरकार पर दबाव बनाना (D) उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी **स्पष्टीकरण** : नैसकॉम भारतीय आईटी उद्योग को बढ़ावा देने में बहुमुखी भूमिका निभाता है: लॉबिंग: नैसकॉम उन सरकारी नीतियों की वकालत करता है जो आईटी उद्योग के पक्ष में हों, जैसे कि व्यापार को आसान बनाना या कर नियमों में ढील देना। कौशल विकास: नैसकॉम कौशल अंतर को पाटने और आईटी क्षेत्र के लिए सुसज्जित कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करता है। उद्योग संवर्धन: नैसकॉम वैश्विक स्तर पर भारतीय आईटी उद्योग को बढ़ावा देता है, निवेश आकर्षित करता है और भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करता है।
प्रश्न 8: अन्ना अंबेडकर बिजनेस चैंपियन योजना का नाम संभवतः किसके नाम पर रखा गया है? (क) एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक (बी) एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक (ग) एक प्रमुख अर्थशास्त्री (घ) एक सैन्य नेता	उत्तर: (बी) एक स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक **व्याख्या:** बीआर अंबेडकर भारतीय इतिहास में एक प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने वंचित समुदायों के लिए सामाजिक न्याय और समानता की वकालत की। ऐसे समुदायों के उत्थान पर केंद्रित एक योजना का नाम उनके नाम पर रखना इस उद्देश्य से मेल खाता है।
प्रश्न 9: अन्ना अंबेडकर बिजनेस चैंपियन योजना के लिए संभावित लक्ष्य समूह कौन हो सकता है? (क) स्थापित बड़ी कंपनियां (बी) मौजूदा लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) (ग) वंचित समुदायों के महत्वाकांक्षी उद्यमी (घ) सभी व्यवसाय, चाहे उनका आकार या पृष्ठभूमि कुछ भी हो	उत्तर: (सी) वंचित समुदायों के महत्वाकांक्षी उद्यमी **स्पष्टीकरण** : योजना के नाम से पता चलता है कि इसका उद्देश्य वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले उन व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जो व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखते हैं।
प्रश्न 10: इग्ला-एस एक प्रकार की हथियार प्रणाली है जिसका उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है:	उत्तर: (बी) कम उड़ान वाले विमानों के खिलाफ निकट-सीमा की हवाई रक्षा

PatriotICAS

(ए) लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बी) कम उड़ान वाले विमानों के खिलाफ निकट दूरी की हवाई रक्षा (ग) टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करना (घ) दुश्मन के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले	**स्पष्टीकरण:** इग्ला-एस जैसे MANPADS को एक सैनिक द्वारा कंधे पर रखकर फायर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह हेलीकॉप्टर, ड्रोन और कुछ फिक्स्ड-विंग विमानों जैसे कम उड़ान वाले विमानों के खिलाफ प्रभावी हैं।
प्रश्न 11: इग्ला-एस किस देश के रक्षा उद्योग का उत्पाद है? (क) संयुक्त राज्य अमेरिका (बी) फ्रांस (ग) रूस (घ) चीन	उत्तर: (सी) रूस **व्याख्या:** इग्ला-एस सोवियत युग की इग्ला मैनपैड्स प्रणाली का एक और विकास है और वर्तमान में इसका उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है।
प्रश्न 12: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) किसके लिए जिम्मेदार है? (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर यातायात प्रवाह को विनियमित करना (बी) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन (ग) पूरे भारत में टोल सड़कों का निर्माण और संचालन (घ) ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जारी करना	उत्तर: (बी) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास, रखरखाव और प्रबंधन **व्याख्या:** एनएचएआई का प्राथमिक कार्य भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखरेख करना है, जो प्रमुख शहरों और राज्यों को जोड़ने वाला प्राथमिक सड़क नेटवर्क है।
प्रश्न 13: एनएचएआई किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है? (क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) (ख) रेल मंत्रालय (ग) शहरी विकास मंत्रालय (घ) वित्त मंत्रालय	उत्तर: (ए) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) **व्याख्या:** एनएचएआई एक वैधानिक निकाय है जो एनएचएआई अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

PatrioticIAS